न्यायालय, अपर समाहर्त्ता, राँची।
SAR Appeal 76R/07-08

आदेश क्रमांक / तिथि Order No. /Date	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर Order and Signature of Officer	आदेश की गयी कार्रवाई तिथि सहित Action taken on order with date.
	सुदामा देवी —— सुरेन्द्र मिश्रा	
1	2	3
3 / 12.3.08	अपीलकर्त्ता अनुपस्थित।	
14-03-2008	अपीलकर्त्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने बहस किया। उनके द्वारा बताया गया कि निम्न न्यायालय ने वाद सं0–814 / 05–06 में दिनांक–08.07.2006 को भूमि वापसी का आदेश पारित किया । निम्न न्यायालय में प्रतिवादी सरिता मिश्रा थे जबकि वर्त्तमान अपीलकर्त्ता सुदामा देवी पति ईश्वर नाथ मिश्रा है। निम्न न्यायालय द्वारा सरिता मिश्रा के नाम से जो नोटिस जारी किया गया था वह नोटिस तामिला नही किया गया और सरिता मिश्रा के विरूद्व में एक पक्षीय आदेश पारित किया गया। जहाँ तक वर्त्तमान अपीलकर्त्ता का सवाल है सुदामा देवी को निम्न न्यायालय में प्रतिवादी नही बनाया गया था। इसलिए उनकी कागजातों की कोई छानबीन नही हुई और न ही कोई साक्ष्य लिया गया। यह सही है कि सुदामा देवी ने विलम्ब से आवेदन दी है लकिन पक्षकार नही होने के कारण उन्हें आदेश की जानकारी नही हुई। अतः प्रारंभिक सुनवाई के दौरान ही यह स्पष्ट है कि सुदामा देवी का पक्ष नही सूना गया है। नैसर्गिक न्याय की दृष्टिकोण से वर्त्तमान अपीलकर्त्ता के पक्ष भी निम्न न्यायालय द्वारा सुनना आवश्यक है। अतः वर्त्तमान अपील आवेदन निम्न न्यायालय को सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। (हस्ताक्षर) अपर समाहर्त्ता, राँची।	